भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3356

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>**कंपनी कानूनों में खामियां**</u>

3356. श्री उदय प्रताप सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी कानून में विद्यमान खामियों के कारण कुछ कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कथित रूप से 'हवाला लेन-देन' के माध्यम से धन का विदेश में हस्तांतरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसा चलन बंद करने के लिए कंपनी कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ) : कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के उपबंधों में किन्हीं खामियों के कारण, कंपनियों द्वारा धन विदेश भेजने का कोई मामला पक्षकारों अथवा सरकार की संगत एजेंसियों द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

*****